न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 205/2019

वादीगण :–

1. इन्द्रराज पुत्र श्री भोलाराम
2. रामकिशोर पुत्र श्री तेजाराम

जातियान जाट, निवासीगण डांगावास
तहसील मेड़ता, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामसुख पुत्र श्री तेजाराम
2. शोभादेवी पुत्री श्री तेजाराम
3. सुण्डकी उर्फ सुण्डीदेवी पत्नी श्री तेजाराम
4. मांगूराम पुत्र श्री भोलाराम
5. कमला पुत्री श्री भोलाराम
6. परसाराम पुत्र श्री भोलाराम
7. शारदा पुत्री श्री भोलाराम
8. धन्नाराम पुत्र श्री गंगाराम
9. मुन्नीदेवी पत्नी मांगीलाल उर्फ मांगूराम

जातियान जाट, निवासीगण डांगावास
तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

10.तहसीलदार, मेड़ता।

दावा बाबत बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 23/10/19

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री बाबुलाल गौरा ने दावा बाबत बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का सिजरा खानदान अर्जीदावा के पैरा संख्या 1 में वर्णितानुसार है। कस्बा मेड़ता की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 4930 रकबा 1.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4931 रकबा 1.3900 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3, खसरा नम्बर 4923 रकबा 1.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4924 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4925 रकबा 1.7800 हैक्टेयर वादी रामकिशोर व प्रतिवादी संख्या 1 से 4, खसरा नम्बर 4910 रकबा 1.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4911 रकबा 1.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4916 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7, खसरा नम्बर 4926 रकबा 2.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4927 रकबा 1.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.8300 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9, खेत खसरा नम्बर 151 रकबा 1.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.7700 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी के काश्त व कब्जासुद है व वादीगण के दादा बालूराम के देहान्त के बाद में वादीगण के पिता भोलाराम व तेजाराम को प्राप्त हुए व वादीगण के पिता के देहान्त के बाद में वादीगण व प्रतिवादीगण को प्राप्त हुए है। वादीगण के पिता के भाई गंगाराम थे, जो बाद में मोटाराम के गोद चले गये थे व गंगाराम का पुत्र प्रतिवादी धन्नाराम है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 उक्त प्रकरण से सभी खसरान के रेकर्डेड खातेदारान है व वादीगण हिन्दू धर्म के अनुयायी है व हिन्दू मिताक्षरा मत के गर्वन होते है। इसलिये वादीगण का अपने जन्म से अपनी पैतृक भूमि व संयुक्त खातेदारी के खसरान पर अधिकार स्थापित हो जाता है और वादीगण अपनी पैतृक भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। यह जरिये इस्तकरार हक घोषित फरमाया जावें। इस प्रकार से वर्तमान जमाबंदी में अर्जीदावा के फिकरा नम्बर 2 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम से संयुक्त खातेदारी नाम दर्ज है व उक्त खसरान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 आपस में बंटवाड़ा कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 3 अत्यन्त वृद्ध होने व प्रतिवादी संख्या 2, 5 व 7 अपनी जाति प्रथा में पुत्रीयां अपने पिता की जायदाद में बंट प्राप्त नही करती है, इसी वजह से प्रतिवादी संख्या 2, 5 व 7 ने अपनी पैतृक जमीन को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 6 को बिना प्रतिफल के अपना हक छोड़ दिया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 9 ने अपनी संयुक्त खातेदारी के खसरान का बंटवाड़ा कर लिया था। जो अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 4 6, 8 व 9 ने बाद बंटवाड़ा अपने–अपने हिस्सों पर काश्त करते है व काबिज चले आ रहे है मगर बंटवाड़ा के अनुसार व काश्त, कब्जा के अनुसार खातेदारी दर्ज नही होने से अपने–अपने बंटसुदा खसरान का विकास करने में बड़ी भारी असुविधा हो रही है। इसी को ध्यान में रखकर अभी दिनांक 13.07.2019 को बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने की इच्छा जाहिर की। जिसका की वादी को अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार मेड़ता है, जो बंटवाड़ा के दावा में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 8 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 80, 517, 519, 552 एवं मौजा गणेशपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 72 की प्रतियां पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने राजीनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की पहचान वकील वादी श्री बाबुलाल गौरा ने की। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 व 7 का शपथपत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 24.09.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील वादीगण की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(क) **वादी संख्या 1 इन्द्रराज के बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4910 रकबा 1.5500 हैक्टेयर में से रकबा 0.50 हैक्टेयर बीच का हिस्सा, खसरा नम्बर 4926 रकबा 2.2000 हैटेयर में से रकबा 0.32 हैक्टेयर उत्तरी–पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.8300 हैक्टेयर में से रकबा 0.39 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 4931 रकबा 1.39000 हैक्टेयर में से रकबा 0.68 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ख) **वादी संख्या 2 रामकिशोर के बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4916 रकबा 0.9900 हैक्टेयर में से रकबा 0.30 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 4923 रकबा 1.1500 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 4924 रकबा 0.5300 हैक्टेयर में से रकबा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

0.51 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 151 रकबा 1.8700 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ग) **प्रतिवादी संख्या 1 रामसुख के बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4911 रकबा 1.5000 हैक्टेयर में से रकबा 1.46 हैक्टेयर उत्तरी, हिस्सा, खसरा नम्बर 4916 रकबा 0.9900 हैटेयर में से रकबा 0.56 हैक्टेयर पश्चिमी–उत्तरी, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से 0.39 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा नम्बर 151 रकबा 1.87 हैक्टेयर में से 1/2 भाग की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(घ) **प्रतिवादी संख्या 4 मांगूराम के बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4910 रकबा 1.5500 हैक्टेयर में से रकबा 0.50 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 4916 रकबा 0.9900 हैक्टेयर में से रकबा 0.13 हैक्टेयर दक्षिणी–पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 4925 रकबा 1.7800 हैक्टेयर में से रकबा 1.72 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 4931 रकबा 1.3900 हैक्टेयर में से रकबा 0.68 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ड़) **प्रतिवादी संख्या 6 परसाराम के बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4910 रकबा 1.5500 हैक्टेयर में से रकबा 0.40 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा एवं खसरा नम्बर 170 रकबा 1.7700 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(च) **प्रतिवादी संख्या 8 धन्नाराम के बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4926 रकबा 2.2000 हैक्टेयर में से रकबा 1.56 हैक्टेयर पुरा, एवं खसरा नम्बर 4927 रकबा 1.3800 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

(छ) **प्रतिवादी संख्या 9 मुन्नीदेवी के बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4926 रकबा 2.2000 हैक्टेयर में से रकबा 0.32 हैक्टेयर दक्षिणी–पूर्वी की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ज) **वादी इन्द्रराज व प्रतिवादी संख्या 1 रामसुख व प्रतिवादी संख्या 4 मांगूराम, प्रतिवादी संख्या 6 परसाराम के संयुक्त बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4910 रकबा 1.5500 हैक्टेयर में से रकबा 0.07 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 4911 रकबा 1.5000 हैटेयर में से रकबा 0.04 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(छ) **वादी रामकिशोर व प्रतिवादी संख्या 4 मांगूराम के संयुक्त बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4924 रकबा 0.5300 हैक्टेयर में से रकबा 0.02 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 4925 रकबा 1.7800 हैक्टेयर में से रकबा 0.06 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ज) **वादी इन्द्रराज, रामकिशोर, प्रतिवादी संख्या 1 रामसुख एवं प्रतिवादी संख्या 4 मांगूराम के संयुक्त बंट में :–** मौजा ग्राम मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.8300 हैक्टेयर में से रकबा 0.05 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 4930 रकबा 1.4600 हैटेयर में से रकबा 0.06 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 4931 रकबा 1.39 हैक्टेयर में से रकबा 0.03 हैक्टेयर पूर्वी प्रतिवादी संख्या 4 मांगूराम के बंट तक की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 व 7 ने अपने हक की सम्पूर्ण भूमि का हक तर्क वादी व अन्य प्रतिवादीगण के हक में कर दिया है, जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

उपखण्ड अधिकारी,

मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.27 15:21:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: